# न्यूज़ टुडे

## अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने "इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट: आउटलुक टू 2030" रिपोर्ट जारी की

भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में **स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़कर 15%** तक करना है। इस संदर्भ में यह रिपोर्ट नीतिगत सुधारों की सिफारिश करती है।

**रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

- **भारत की गैस खपत: 2030 तक इसमें 60%** की वृद्धि होगी और शहरी गैस वितरण (CGD) क्षेत्रक प्राकृतिक गैस की मांग में होने वाली इस वृद्धि का नेतृत्व करेगा।
  - CGD क्षेत्रक **पाइपलाइनों के माध्यम से घरों, उद्योगों** आदि को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है।
- **भारत का गैस उत्पादन:** 2023 में **35 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm)** तक पहुंच गया है। साथ ही, **कृष्णा-गोदावरी डीपवाटर फील्ड्स** कुल उत्पादन में **एक-चौथाई का योगदान** देते हैं।
- **आयात:** वैश्विक स्तर पर भारत **चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक** है; 2030 तक देश में LNG का आयात **दोगुने से अधिक** हो जाएगा।
- **कॉम्प्रेस्ड बायोगैस** (CBG) की क्षमताओं का अभी तक बड़े पैमाने पर दोहन नहीं हुआ है।
  - भारत की CBG क्षमता लगभग **87 bcm/yr अनुमानित** है, जबकि वर्तमान में स्थापित क्षमता इस क्षमता का **1% से भी कम है।**

**भारत में गैस क्षेत्रक के समक्ष मौजूद चुनौतियां**

- **वर्तमान मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दे:**
  - **लिगेसी क्षेत्रों (पुराने एवं परिपक्व प्राकृतिक गैस क्षेत्र)** से गैस की कीमतें लगभग **10 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट** (MMBtu) पर सीमित कर दी गई हैं। इससे **गैस की सही कीमत प्राप्त करने में बाधा** उत्पन्न होती है।
  - **डीपवाटर प्रोजेक्ट** जैसे **उच्च लागत वाले क्षेत्रों** से निकलने वाली गैस की कीमतों पर भी **सीमाएं** निर्धारित की गई हैं।
- सरकारी स्वामित्व वाली **गेल/ GAIL** (गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड) भारत में **गैस के विपणन और पाइपलाइन ट्रांसमिशन** दोनों क्षेत्रकों में अग्रणी कंपनी है। इससे **हितों के टकराव** की संभावना पैदा होती है।
- भारत में **भूमिगत गैस भंडारण** (UGS) सुविधाओं का अभाव है और **LNG भंडारण क्षमता सीमित** है।

**नीतिगत सिफारिशें**

- **गैस मूल्य निर्धारण को उदार बनाना: किरीट पारेख समिति (2022)** के सुझाव के अनुसार, धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता का विस्तार करना चाहिए। डीपवाटर एवं अल्ट्रा-डीपवाटर परियोजनाओं पर **मूल्य सीमाओं को हटाने** का प्रयास करना चाहिए।
- पाइपलाइनों तक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए **इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स** (TSOs) की स्थापना करनी चाहिए।
- **प्रतिस्पर्धी ईंधनों (जैसे- कोयला) के कराधान को सुसंगत** बनाना चाहिए; कुशल मूल्य निर्धारण के लिए **इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX)** को बढ़ावा देना चाहिए आदि।
- **पारदर्शी तरीके से थर्ड पार्टी की पहुंच** सुनिश्चित करने के साथ-साथ **सक्षम अवसंरचना का विकास** करना चाहिए। उदाहरण के लिए- **स्ट्रेटेजिक गैस रिज़र्व** का निर्माण।

## सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहार (Freebies) के वादे पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार (Freebies) देने के वादे पर कहा कि हम **कुछ लोगों को परजीवियों का एक वर्ग** बना रहे हैं। न्यायालय के अनुसार इस तरह के मुफ्त उपहार कुछ लोगों को रोजगार खोजने, मुख्यधारा में शामिल होने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के अवसर से वंचित कर देती हैं।

**फ्रीबीज (मुफ्त उपहार) के बारे में**

- **परिभाषा:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार फ्रीबीज **"एक ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत मुफ्त में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।"**
  - हालांकि, भारत के **चुनाव आयोग ने फ्रीबीज को परिभाषित नहीं** किया है।
- **फ्रीबीज के उदाहरण:** फ्री-बिजली, फ्री जलापूर्ति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना किराए की यात्रा आदि।

**फ्रीबीज से जुड़ी चिंताएं**

- **राजकोषीय बोझ:** मुफ्त में अधिक सुविधाएं देने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ जाता है। इससे **राजकोषीय घाटा** बढ़ता है।
  - उदाहरण के लिए- मुफ्त सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च के कारण **पंजाब को वित्तीय संकट का सामना** करना पड़ रहा है।
- **विकास कार्यों पर कम खर्च होना:** राजस्व को अवसंरचना विकास और रोजगार सृजन में निवेश करने की बजाय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खर्च किया जाता है।

### फ्रीबीज के सकारात्मक प्रभाव

**कमजोर वर्गों का उत्थान**
वंचित समुदायों को सहायता देने से सामाजिक कल्याण के दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है।

**उपभोग व्यय में वृद्धि**
कुछ सुविधाएं मुफ्त में देने से लोग अपनी बचत का उपयोग कुछ और खरीदने में कर सकते हैं जिससे उपभोग व्यय बढ़ता है।

**संकट में तत्काल राहत**
संकट की स्थिति में मुफ्त सुविधाएं मिलने से सामाजिक कल्याण का त्वरित लाभ मिलता है। कोविड-19 के दौरान मिले लाभ इसका एक उदाहरण है।

**उत्पादकता में वृद्धि**
कार्यबल की दक्षता बढ़ती है, जिससे अल्पकाल में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है।

- **पर्यावरण को नुकसान:** नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में मुफ्त बिजली देने से भूजल स्तर में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है।
- **संस्थानों को कमजोर बनाना:** एन.के. सिंह के अनुसार ऋण माफी और फ्री-बिजली जैसी नीतियां **बैंकों एवं विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स/ DISCOMs) को नुकसान** पहुंचाती हैं।

**आगे की राह**

- **कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन:** स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा जैसी **आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं तथा गैर-जरूरी फ्रीबीज** में अंतर किया जाना चाहिए।
- **संस्थागत और विधायी सुधार:** फ्रीबीज को परिभाषित करने और नियंत्रित करने के लिए **संसद में विस्तार से बहस** की जानी चाहिए।
- **राजनीतिक और चुनावी जवाबदेही:** चुनावी घोषणा-पत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **भारत के चुनाव आयोग** (ECI) **की भूमिका** बढ़ाई जानी चाहिए।

## भारत के प्रधान मंत्री ने फ्रांस की अपनी छठी आधिकारिक यात्रा की

**इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौते**

- **परमाणु ऊर्जा में सहयोग:** दोनों देशों ने **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स** (SMRs) और **एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स** (AMRs) के विकास में सहयोग पर सहमति व्यक्त की।
  - **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स** (SMRs) लघु और कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर्स होते हैं, जिन्हें फैक्ट्रियों में निर्मित करके सीधे साइट पर स्थापित किया जा सकता है।
  - **एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स** (AMRs) अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर्स हैं, जिनकी दक्षता, सुरक्षा और स्थिरता काफी बेहतर होती है।
- **भारत-फ्रांस हिंद-प्रशांत त्रिकोणीय विकास सहयोग की शुरुआत:** इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों की जलवायु और संधारणीय विकास पर केंद्रित परियोजनाओं को समर्थन देना है।
- **मार्सिले में भारत के महावाणिज्य दूतावास** का उद्घाटन भी किया गया।

**भारत की फ्रांस यात्रा से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी**

- **बहुपक्षीय सहयोग:** फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया।
- **रक्षा सहयोग: इसमें स्कॉर्पीन पनडुब्बियों** के निर्माण और स्वदेशीकरण में प्रगति तथा FRIND-X **रक्षा स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म** का शुरू होना शामिल है। साथ ही, **फ्रांस ने यूरोड्रोन माले प्रोग्राम** (Eurodrone MALE programme) में भारत को **पर्यवेक्षक** के रूप में शामिल किया है।
  - **सैन्य अभ्यास:** वरुण, ला पेरोस आदि।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग:** दोनों देशों ने **इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर** (ITER) **की प्रगति की सराहना** की।
  - भारत ITER **के सात सदस्यों** में से एक है। ITER **500 मेगावाट संलयन ऊर्जा उत्पन्न** करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े **टोकामक** को असेंबल करने में योगदान दे रहा है।
  - वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष (2026) का भी शुभारंभ** किया गया है।
- **व्यापार संबंध:** 2024 में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के साथ द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

## एक शो में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की कथित अश्लील टिप्पणी वाली वीडियो की पुलिस जांच कर रही हैं

कानूनी रूप से, '**अश्लीलता**' (Obscenity) **को अभद्र अभिव्यक्ति** माना जा सकता है। इसे **शब्दों, कार्यों या इशारों के माध्यम से प्रदर्शित** किया जा सकता है।

**अश्लीलता से जुड़े नैतिक मुद्दे**

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अश्लीलता पर कानून:** संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** की गारंटी दी गई है। हालांकि, इस अधिकार को **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 294 और धारा 296** तथा कुछ अन्य कानूनों द्वारा सीमित किया गया है।
- **अश्लीलता की अलग-अलग परिभाषा:** अश्लीलता की कोई स्पष्ट और सटीक परिभाषा न होने के कारण इसकी व्याख्या अलग-अलग तरीकों से की जाती है।
  - उदाहरण के लिए- **अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो अभिव्यक्ति एक समुदाय में अश्लील समझी जाती है, वह अभिव्यक्ति किसी अन्य समुदाय में स्वीकार्य हो सकती है।
- **सेंसरशिप बनाम कलाकारों की स्वतंत्रता:** अक्सर 'सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के लिए सेंसरशिप लगाने' और 'कलाकारों द्वारा क्रिएटिव रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता' के बीच टकराव की स्थिति देखी जाती है।
  - उदाहरण के लिए- **मकबूल फ़िदा हुसैन बनाम राज कुमार पांडे** मामले में न्यायालय ने कहा कि केवल 'नग्नता' के आधार पर किसी कलात्मक अभिव्यक्ति को अश्लील नहीं माना जा सकता। इस निर्णय से कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक मानदंडों के बीच नैतिक दुविधा उजागर हुई।

**अश्लीलता को रोकने से संबंधित कानूनी प्रावधान**

- **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986** {Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986}: यह क़ानून महिलाओं के अशिष्ट, अनुचित और आपत्तिजनक तरीके से चित्रण को गैर-कानूनी घोषित करता है।
- **अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956** {Young Persons (Harmful Publication) Act, 1956}: यह कानून उन प्रकाशनों को प्रतिबंधित करता है, जो किसी बालक या अल्पवय व्यक्ति के मन को दूषित या भ्रष्ट कर सकते हैं।

**अश्लीलता के मुद्दे पर न्यायिक निर्णय**

- **एस. खुशबू बनाम कन्नियम्मल एवं अन्य मामले** में, अपीलकर्ता द्वारा विवाह-पूर्व संबंधों पर दिए गए विचारों को नैतिकता और शालीनता को भंग करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलकर्ता के "अभिव्यक्ति के अधिकार" और 'सामाजिक नैतिक मानकों' के बीच संतुलन स्थापित किया था।

**अश्लील अभिव्यक्ति से संबंधित मुद्दे पर मुख्य सिफारिशें**

- **'अश्लील अभिव्यक्ति' को स्पष्ट रूप से परिभाषित** किया जाना चाहिए। साथ ही, परिभाषा तय करते समय संदर्भ या परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए और व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।
- **हानि सिद्धांत** (Harm Principle) **का उपयोग** करना चाहिए। इसका अर्थ है कि केवल इस आधार पर अश्लील अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कि यह आम लोगों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि इससे होने वाली वास्तविक हानि को ध्यान में रखकर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- **'समुदाय के लिए मानक' सिद्धांत** को अपनाना चाहिए। इसके तहत **'समकालीन सामुदायिक मानक'** टेस्ट को लागू करना चाहिए, जो समय के साथ समाज की बदलती नैतिकता और मूल्यों को प्रतिबिंबित करें।

## भारत का पाम ऑयल आयात 14 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा

एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार भारत के **कुल खाद्य तेल आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 30% से नीचे** आ गई है।

- यह गिरावट मुख्य रूप से **सोया तेल जैसे लागत प्रभावी विकल्पों की उपलब्धता** के कारण आई है।

**पाम ऑयल क्या है?**

- पाम ऑयल, **अफ्रीकी ऑयल पाम ट्री (एलेस गिनेंसिस/ Elaeis Guineensis)** के फल से प्राप्त होता है।
- **पाम ऑयल 2 प्रकार के होते हैं:**
  - **क्रूड पाम ऑयल: यह फलों के गूदे** से निकाला गया अर्क होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से **खाना पकाने** के लिए किया जाता है।
  - **पाम कर्नेल ऑयल:** यह **बीज** से निकाला गया अर्क होता है। इसका उपयोग **गैर-खाद्य प्रयोजनों** (सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स आदि) के लिए किया जाता है।
- दोनों तेल **रंगहीन, गंधहीन और अपेक्षाकृत स्वादहीन** होते हैं।
- ऑयल पाम के वृक्ष **मूल रूप से अफ्रीका महाद्वीप** में पाए जाने वाले पादप हैं, किंतु वर्तमान में **इंडोनेशिया और मलेशिया** दुनिया के **85% पाम ऑयल की आपूर्ति** करते हैं।

**भारत में पाम ऑयल का उत्पादन**

- भारत में **आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल** प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक राज्य हैं। देश के कुल पाम ऑयल उत्पादन में इनकी **हिस्सेदारी 98% से अधिक** है।
- भारत **दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक** है।
- भारत ने पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों पर आयात बोझ को कम करने के लिए **2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम (NMEO-OP)** शुरू किया था।

## सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसदों/ विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा

एक जनहित याचिका में अपराधियों को राजनीति में दोबारा प्रवेश करने से रोकने के लिए **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती** दी गई है।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि किसी क्रिमिनल अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को **2 वर्ष या उससे अधिक की सजा** मिलती है, तो वह **रिहाई के बाद 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता।**

**राजनीति का अपराधीकरण**

- राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य **राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी** से है।
- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार-**
  - 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 (46%) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे,
    - 171 (31%) पर बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि सहित गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
  - **आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना 15.4%** थी, जबकि स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीतने की संभावना केवल 4.4% थी।

**प्रभाव**

- **आर्थिक:** चुनावों में **काले धन के उपयोग और क्रोनी कैपिटलिज्म** को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है।
- **सामाजिक:** धनबल और बाहुबल को अधिकतम करने पर ध्यान सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्रभावित करता है, तथा हिंसा और **सामाजिक वैमनस्य की संस्कृति** को बढ़ावा देता है।
- **राजनीतिक:** यह **मुफ्त उपहार (Freebies), वोट रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा** देता है तथा **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एवं सुशासन के सिद्धांतों को कमजोर** करता है।

**SC के संबंधित निर्णय**

- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) वाद (2002):** इसमें शीर्ष न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य किया।
- **लिली थॉमस मामला (2013):** अगर कोई मौजूदा सांसद/ विधायक दोषी ठहराया जाता है, तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया कि वे **अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार-पत्रों** पर प्रकाशित करेंगे।

## अन्य सुर्ख़ियां

### जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 (Climate Risk Index 2025)

जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार **भारत 1993-2022 के दौरान जलवायु जोखिमों से सबसे अधिक प्रभावित देशों में छठे स्थान** पर रहा।

- **1993-2022** के बीच, भारत में **400 से अधिक चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गई थीं। इन घटनाओं** की वजह से **लगभग 180 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान** हुआ था और **लगभग 80,000 लोगों की मौत** हो गई थी।

**'जलवायु जोखिम सूचकांक' के बारे में**

- **परिभाषा:** यह **पिछले आंकड़ों पर आधारित सूचकांक** है। यह **चरम मौसम की घटनाओं से होने वाली मानव और आर्थिक क्षति** के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। **सबसे अधिक प्रभावित देश को सर्वोच्च रैंक** दी जाती है।
- **प्रकाशक: जर्मनवॉच (Germanwatch) द्वारा 2006** से प्रकाशित।
- **सूचकांक तैयार करने की पद्धति:**
  - **तीन प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं** के आधार पर जलवायु जोखिमों के प्रभाव का आकलन किया जाता है। ये जलवायु जोखिम हैं-
    - **जल-विज्ञान** (Hydrological),
    - **मौसम विज्ञान** (Meteorological) और
    - **जलवायु विज्ञान** (Climatological)।
  - **सूचकांक के 6 प्रमुख संकेतकों में शामिल हैं- आर्थिक हानि, मृतक तथा प्रभावित लोग।**
    - इनकी गणना कुल संख्या और सापेक्ष रूप से की जाती है।

### भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (FSI)

हाल ही में, एक सर्वेक्षण के दौरान भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने **अरब सागर में नए मात्स्यिकी क्षेत्र की खोज** की।

**भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (FSI) के बारे में**

- यह केंद्रीय **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** के तहत मात्स्यिकी पर एक नोडल संस्थान है।
- **कार्य:** भारतीय **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और इसके आसपास के क्षेत्रों** में समुद्री मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना, ताकि इन संसाधनों का संधारणीय तरीके से **उपयोग व प्रबंधन** किया जा सके।
- **FSI का समुद्री इंजीनियरिंग प्रभाग (MED)** गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के रखरखाव का कार्य करता है।
- **FSI का विकास क्रम:**
  - इसे **1946 में डीप सी फिशिंग स्टेशन परियोजना** के रूप में स्थापित किया गया था।
  - **1988 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान** के रूप में मान्यता मिली थी।

## PARAS/ पारस-2 स्पेक्ट्रोग्राफ और सब-सैटर्न एक्सोप्लैनेट

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) के वैज्ञानिकों ने **माउंट आबू टेलीस्कोप में PARAS-2 स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके एक नए सघन एक्सोप्लैनेट की खोज** की।

- **एक्सोप्लैनेट:** यह **सब-सैटर्न श्रेणी** में अवस्थित है।
  - **सब-सैटर्न श्रेणी:** ऐसे एक्सोप्लैनेट जो **नेपच्यून से बड़े लेकिन शनि से छोटे** होते हैं।

**PARAS-2 (PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च) स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में**

- यह एक **अत्याधुनिक हाई-रिज़ॉल्यूशन फाइबर-फेड स्पेक्ट्रोग्राफ** है। इसका उद्देश्य **सुपर-अर्थ जैसी दुनिया की खोज** करना है।
  - स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण है, जो **प्रकाश को उसकी संरचना और गुणों के विश्लेषण के लिए उसके स्पेक्ट्रम में विभाजित** करता है।
- यह उच्च परिशुद्धता और संवेदनशीलता के साथ **एशिया में उच्चतम-रिज़ॉल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोग्राफ** है।

## स्टारलिंक

स्पेसएक्स के स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट **भूटान** में उपलब्ध है।

**स्टारलिंक के बारे में**

- स्टारलिंक **हजारों उपग्रहों का एक समूह** है। यह समूह पृथ्वी के बहुत करीब, **लगभग 550 कि.मी. की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए संपूर्ण विश्व को कवर** करता है।
  - स्टारलिंक उपग्रह निम्न भू कक्षा में स्थित हैं, इसलिए **लेटेंसी काफी कम** है।
- **उद्देश्य:** विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में वैश्विक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करना।
- **लाभ:** फाइबर या सेलुलर नेटवर्क के विपरीत, **स्टारलिंक को किसी जमीनी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं** है।
- भारत ने अब तक स्टारलिंक को **भारत में संचालन करने की अनुमति नहीं** दी है।

## ब्रह्मोस NG (नेक्स्ट जेनरेशन) मिसाइल

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस NG मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण **2026** में होगा, जबकि इसका उत्पादन **2027-28** तक शुरू होगा।

**ब्रह्मोस NG (नेक्स्ट जेनरेशन) के बारे में**

- यह **उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल** है। इसे **भारत-रूस संयुक्त उद्यम** द्वारा विकसित किया गया है।
- **मिसाइल का प्रकार:** यह पहले की **ब्रह्मोस मिसाइल का हल्का, छोटा, अधिक बहुउद्देशीय और घातक संस्करण** है।
- **तैनाती:** इसे **SU-30MKI, LCA तेजस, पनडुब्बियों और नौसेना प्लेटफॉर्म्स** पर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **क्षमता:**
  - **गति:** मैक 3.5 तक।
  - **मारक क्षमता: 290 किलोमीटर,** जिसे 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है।
- **निर्यात क्षमता:** भारत ने 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल की **पहली खेप फिलीपींस** को भेजी थी।

## ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य

ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में आदिवासियों के लिए एक गांव बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर पर्यावरणविदों ने आपत्ति जताई।

- बफर जोन एक **वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एक निर्दिष्ट क्षेत्र** होता है। यह क्षेत्र **अभयारण्य की जैव विविधता और पारिस्थितिकी-तंत्र की रक्षा करने** में मदद करता है।

**ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य के बारे में**

- **अवस्थिति:** यह **कोडागु जिले (कर्नाटक) में पश्चिमी घाट** के कोर क्षेत्र में स्थित है।
  - इस अभयारण्य का नाम इसके **उच्चतम बिंदु ब्रह्मगिरि शिखर** से लिया गया है।
- **वनस्पति:** इसमें **शोला घास** के मैदान के साथ-साथ **सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन** शामिल हैं।
- **जीव-जंतु:** तेंदुआ, गौर या भारतीय बाइसन, बार्किंग डियर, शेर-पूंछ मकैक, नीलगिरि लंगूर आदि।

## लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC)

हाल ही में, लोक लेखा समिति ने केंद्र सरकार से **राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए टोल टैक्स नियम की समीक्षा करने का आग्रह** किया।

**लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में**

- **उत्पत्ति:** इसे **मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर पहली बार 1921 में स्थापित** किया गया था।
- **समिति का गठन:** इसे लोक सभा में **प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 308** के तहत **हर साल गठित** किया जाता है।
- **सदस्य:** इस समिति में **कुल 22 सदस्य** होते हैं। इनमें **लोक सभा से 15** और **राज्य सभा से 7 सदस्य** शामिल हैं। सदस्यों का **कार्यकाल एक वर्ष** होता है।
  - **किसी भी केंद्रीय मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं** बनाया जाता है।
- **अध्यक्ष:** PAC का अध्यक्ष **लोक सभा का सदस्य** होता है। उसकी **नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष** करता है।
- **कार्य:** यह समिति संसद द्वारा अनुमोदित **सरकारी व्यय, वित्तीय लेखाओं और विनियोगों की समीक्षा** करती है।

## मिशन अमृत सरोवर

मिशन अमृत सरोवर के तहत **68,000 से अधिक तालाबों का कायाकल्प** किया गया है या उनका **निर्माण** किया गया है। इससे कई जगहों पर जल संकट से निपटने में मदद मिल रही है।

**मिशन अमृत सरोवर के बारे में**

- **शुरुआत:** यह मिशन 2022 में, भारत के **"आज़ादी के अमृत महोत्सव"** के तहत शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** देश के **प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों** (तालाब) का निर्माण/ कायाकल्प करना। इससे **देश भर में अमृत सरोवरों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 50,000** हो जाएगी।
- इस मिशन में **मनरेगा, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना** (PMKSY) जैसी पहलों को एकीकृत किया गया है। साथ ही, इस मिशन में **जनभागीदारी को भी बढ़ावा** दिया जा रहा है।
- इस मिशन के लिए **अलग से वित्तीय आवंटन नहीं** किया गया है।

## सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

## महर्षि दयानंद सरस्वती (1824 से 1883)

- महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर पूरे देश में याद किया गया।
- उनका जन्म **काठियावाड़ (गुजरात)** में हुआ था।
- **प्रमुख योगदान:**
  - **धार्मिक सुधार:** उन्होंने **1875 में बंबई में आर्य समाज** की स्थापना की थी। वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ थे।
  - **सामाजिक सुधार:** उन्होंने **जाति व्यवस्था का विरोध** किया था और **अस्पृश्यता को अमानवीय** बताया था।
  - **महिला सशक्तीकरण:** वे **महिला शिक्षा के समर्थक** थे। उन्होंने भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुरी प्रथाओं का विरोध किया था। उन्होंने **विधवा विवाह का समर्थन** किया था।
  - **साहित्यिक कृतियां:** सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि आदि।
- **मूल्य:** राष्ट्रवाद, विश्व बन्धुत्व, मानवतावाद आदि।